



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

488/14

अपील संख्या (1-5) ..488/2015 से 492/2015जिला.....अलवर

विद्वान - मै0 वैल्यूलाईन इंटीरियर्स प्रा.लि., अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.12.2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u> <u>श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक को तीन बार आवाज लगवाने के पश्चात भी वे अनुपस्थित रहे। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपूर्ण अपीलों प्रस्तुत की गई हैं एवं कई बार अवसर देने के पश्चात भी उनके द्वारा कमीपूर्ति पूर्ण नहीं की गई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपीलों को आगे चलाने के इच्छुक नहीं हैं।</p> <p>अतः पांचों अपीलों को जरिये अदम हाजरी अदम पैरवी व अदम कमी पूर्ती खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक से रखी जाकर आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (मोहनलाल नेहरा) सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  16.12.2015 (मदन लाल) सदस्य </p>	